रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 1974/चैत्र 20, 1896
No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 1974/CHAITRA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th April 1974

S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968 namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) *Twelfth* Amendment Order, 1974.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, Schedule I, Part A, the following entry shall be made after item No. 48:—

"49. Wood and Timber, the following:—

(1) Gurjan (Dipterocarpus) produced in Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura;

(2) Figured Kindal Wood Logs (Terminalia Paniculata);

(3) Figured Laurel Wood in Log form (Terminalia tomentosa);

(4) Burrs & stumps of Maple (Acer Spps.);

(5) Balsa (Ochrama lagopas);

(6) Burrs, stumps, roots and logs containing root or any part thereof of walnut (juglans regia); and

(7) Semul (Bomban malabaricum).

3. In the Exports (Control) Order, 1968, Schedule I, Part 'B', existing item No. 43 shall be sugstituted by the following:—

"43. Wood and Timber, other than those mentioned in Part 'A' of Schedule I."

[No. E(C)O, 1968/AM(125)]

S. G. BOSE MULLICK.
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1974

एस० ओ० 244 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण अधिनियम, 1947) (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 12वां संशोधन आदेश, 1974 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968, अनुसूची 1, भाग ए में मद संख्या 48 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी :—

"49. निम्नलिखित लकड़ी और इमारती लकड़ी :—

(1) गुरजान (डिप्टैरोकार्पस) असम, मिजोरम, मेघालय, और त्रिपुरा में उत्पादित ;

(2) चित्रित किन्डल लकड़ी के लट्ठे (टरमिनैलिया पैनिक्यूलैटा) ;

(3) लट्ठे के रूप में जयपत्र की चित्रित लकड़ी (टरमिनैलिया टोमेन्टोसा) ;

(4) मैपिल के कन्डीनाक और स्थूण (एसर एसपीपीएस) ;

(5) बाल्पा (ओकरामा लेगोपास) ;

(6) अखरोट (जगलान्स रेजिया) के कन्डीनाक, स्थूण, जड़ें और लट्ठे, जड़ अथवा उसके किसी भाग सहित ; और

(7) सैमल (बौम्बक्स मालाबारिकस) ।

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968, अनुसूची 1, भाग 'बी' में विद्यमान मद संख्या 43 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :—

"43. लकड़ी और इमारती लकड़ी, अनुसूची 1 के भाग "ए" में उल्लिखित से भिन्न ।"

[सं० इ(सी)ओ, 1968/ए एम (125)]

एम० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974